भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अक्तूबर, 2013

संख्या का०आ० 80/पं०अ० 16/1952/धा० 22/2013.—पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 22 की उपधारा (2) तथा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में, उप-नियम (2च) में खण्ड (i) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु निजी स्कूल बसों के मामले में, छात्रों को ले जाने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं हेतु चलाई जा रही गैर-वातानुकूलित बसों को छोड़कर, एक वर्ष में नौ मास के लिए प्रतिमास प्रति सीट ऐसे एक मुश्त प्रभार निम्न अनुसार होंगे :—

मासिक बस प्रभार प्रति सीट	एक मुश्त भुगतान योग्य कर
₹200/- से अनधिक	छूट
₹200/- से अधिक	₹20/-"।

हरदीप कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।